

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥

:: दिनांक 18.08.2021 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 18.08.2021 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री आलोक वशिष्ठ, सदस्य
कार्यवाहक अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
2. श्री कैलाश चन्द सदस्य
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
3. श्री विक्रम सिंह सदस्य
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमती मोनिका अग्रवाल, सदस्य सचिव
उप महानिरीक्षक कारागार
रेंज, जयपुर।
5. श्री रमेश कुमार दहमीवाल, सदस्य
सहायक निदेशक (परिवीक्षा)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

बैठक में 48 बंदियों के प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में समिति द्वारा निम्नभांति निर्णय लिया गया।

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	गृह जिला	विशेष विवरण
1.	राकेश साहू पुत्र अर्जुन साहू	कै.का. जयपुर	पटना (बिहार)	-

2.	सुश्री रेखा उर्फ अनमोल पुत्री अमरचन्द	म.बं.सु.गृ.बीकानेर	बीकानेर	-
3.	मोहम्मद सलमान पुत्र मौलाना हासीम	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास, दौसा	सुपोल बिहार	-
4.	गिराज उर्फ गिरिया पुत्र सुरज्ञान सिंह	केन्द्रीय कारागृह अलवर	जयपुर ग्रामीण	-
5.	सरदारमल उर्फ बालू उर्फ बाला पुत्र बंशीधर	केन्द्रीय कारागृह जयपुर	सीकर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण- पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
6.	देवाराम पुत्र हनुमानराम	के.का. जोधपुर	बाड़मेर	-
7.	राजुमणी शेकिया पुत्र जुगन शेकिया	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास, दौसा	मोरीगांव (आसाम)	-
8.	रतनलाल पुत्र लक्ष्मण	केन्द्रीय कारागृह कोटा	झालावाड़	-
9.	भागीरथ पुत्र रामकरणदान	केन्द्रीय कारागृह अजमेर	नागौर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण- पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।








10.	सुरजाराम उर्फ सुरजमल पुत्र हुकमाराम	के.का. बीकानेर	सीकर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण- पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
11.	गुलाब पुत्र रामभगत	के.का. बीकानेर	हनुमानगढ़	-
12.	रामकुमार उर्फ लाला पुत्र बृजमोहन	के.का. भरतपुर	सवाई माधोपुर	-
13.	जाफर उर्फ जफर पुत्र जलालुद्दीन	के.का. कोटा	कोटा	-
14.	किशन पुत्र मोतीलाल	के.का. जोधपुर	पाली	-
15.	दिनेश सांखला पुत्र बिरमाराम	के.का. जोधपुर	जोधपुर	-
16.	मेहराज पुत्र इकबाल मोहम्मद	के.का. कोटा	झालावाड़	-
17.	अनिल पुत्र चन्दुलाल	के.का. उदयपुर	डूंगरपुर	-

2. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण

वरियता में होने पर भी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 के तहत साधारणतया व नियम 4 (क) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया :-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का कारण
1.	मोहनलाल पुत्र चम्पालाल	के.का. उदयपुर	दिनांक 04.05.2021 को जेलदण्ड से दण्डित।

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '2' and various initials.

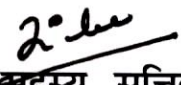
2.	नाहरसिंह पुत्र भोमाराम	के.का. बीकानेर	माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में पृथक् से विचार कर प्रतिबंधित धारा 376 डी में आजीवन कारावास से दण्डित।
3.	बबलू उर्फ कृष्णानन्द पुत्र लखनलाल	के.का. भरतपुर	पोक्सो एक्ट, 2012 में दण्डित होने के कारण।
4.	घनश्याम पुत्र भैरू	वि.के.का. श्यालावास	पोक्सो एक्ट, 2012 व 376 आई.पी.सी. में दण्डित ।
5.	महेश चन्द सैनी पुत्र नानगराम	के.का. जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376-2 (एल) (एन) आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
6.	कपिल उर्फ अन्ना पुत्र गोविन्द राजा	के.का.कोटा	दिनांक 11.11.2020 को जेलदण्ड से दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरणों में वांछित।
7.	मोहन पुत्र बोदूराम	के.का. श्रीगंगानगर	02 अन्य प्रकरणों में वांछित।

अग्रेषित प्रकरण :-

निम्नांकित बंदियों के प्रकरणों पर समिति द्वारा विचार कर उनके द्वारा गत 02 वर्षों में कारागृह उद्योगशाला एवं जेलसेवा में किये गये कार्य के संबंध में पूर्ण विवरण प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया :-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्लिदयत	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।
1.	सोनपाल पुत्र रामजीलाल	के.का. भरतपुर
2.	दिनेश उर्फ पहलवान पुत्र हेतराम	के.का. जयपुर
3.	विष्णु कुमार पुत्र विनोद कुमार	के.का. भरतपुर

4.	विजयपाल पुत्र केशव सिंह	के.का. भरतपुर
5.	मोहनलाल उर्फ राजेश पुत्र मदनदास	के.का. अजमेर
6.	बलवीर उर्फ राज पुत्र शंकरसिंह	के.का. जयपुर
7.	राम सिंह पुत्र चमन सिंह	के.का. उदयपुर
8.	बसंतसिंह उर्फ आदपा पुत्र नत्थीसिंह	के.का. भरतपुर
9.	दीवानसिंह पुत्र अमरसिंह	के.का. भरतपुर
10.	राजवीर पुत्र रामफल	के.का. भरतपुर
11.	कैलाशी पुत्र नत्थी सिंह	के.का. भरतपुर
12.	भरत कुमार पुत्र लक्ष्मण लाल	के.का. उदयपुर
13.	प्रभुलाल पुत्र गणेश	के.का. उदयपुर
14.	जगन्नाथ पुत्र सोवरन	के.का. भरतपुर
15.	रब्बुल इस्लाम पुत्र आईसुदीन	के.का. अजमेर
16.	हिम्मत सिंह पुत्र मंगल सिंह	के.का. उदयपुर
17.	सुग्रीव सिंह पुत्र वचनसिंह	के.का. भरतपुर
18.	जसवंत पुत्र सोवरन	के.का. भरतपुर
19.	कमलेश उर्फ कोमल पुत्र शंकर लाल	के.का. उदयपुर
20.	पवन उर्फ श्यामलाल पुत्र बद्रीलाल	के.का. उदयपुर
21.	अशोक कुमार पुत्र हनुमान सिंह	के.का. बीकानेर
22.	दिलीप कुमार पुत्र गणेशलाल	के.का. कोटा
23.	बीरबलराम विशनोई पुत्र भाखरराम	के.का. जोधपुर
24.	सुभाष उर्फ नेता पुत्र गिरधारी	के.का. भरतपुर

					
सदस्य	सदस्य सचिव	सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
सहायक	उप	महानिरीक्षक	शासन	कार्यवाहक	महानिदेशक
निदेशक	महानिरीक्षक	कारागार	उप	अति.	एवं
(परिवीक्षा)	कारागार रेंज,	राजस्थान,	सचिव,	महानिदेशक	महानिरीक्षक
सामाजिक	जयपुर।	जयपुर।	गृह	कारागार	कारागार
न्याय एवं			(ग्रुप-12)	राजस्थान,	राजस्थान
अधिकारिता			विभाग,	जयपुर।	जयपुर।
विभाग,			राजस्थान		
राजस्थान,			जयपुर।		
जयपुर।					